



2026:AHC:25153

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1677 / 2026

कृष्ण कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनवर अली

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनवर अली वर्तमान रिट याचिका को नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहते हैं, जिसमें निम्नलिखित राहतें मांगी गई थीं:—

I. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24.09.2024 को बनाई गई नीति (इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1) के आलोक में, प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए एक परमादेश जारी किया जाए कि वे याचिकाकर्ता को 5,980/- रुपये प्रति माह के स्थान पर 18,000/- रुपये प्रति माह का न्यूनतम नियमित वेतनमान प्रदान करें।

II. प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए एक परमादेश जारी किया जाए कि वे उस अवधि के दौरान भी याचिकाकर्ता की सेवा को निरंतर सेवा मानें, जिस दौरान याचिकाकर्ता का वेतन उसकी पत्नी के खाते में स्थानांतरित किया गया था।

III. प्रतिवादियों को ऐसा कोई भी परमादेश जारी कर रोका जाए जिससे वे याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक उपचार मांगने के कारण वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान उसे मौखिक रूप से सेवा से न निकाल सकें।

IV. ऐसा कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और सही समझे।

V. याचिकाकर्ता को याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।”

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, रिट याचिका को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज किया जाता है।

5 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(विकास बुधवार, जे.)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"